भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1165

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्पार्क के लिए मानदंड

1165. श्री मोहनभाई कुंडारिया:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (स्पार्क) में भाग लेने वाले छात्रों की चयन प्रक्रिया में किन मानदंडों/अर्हताओं पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम समावेशिता और विविधता सुनिश्चित करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) पाठ्यक्रम (चतुर्थ वर्ष की अंतिम परीक्षा में बैठने से पहले प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक) में अध्ययन करने वाले आयुर्वेद स्नातक केवल आयुर्वेद अनुसंधान केन (स्पार्क) के लिए छात्रवृति कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। केवल ऐसे छात्र जो भारतीय नागरिक है और भारत के मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वे ही आवेदन कर सकते हैं। एनआरआई और विदेशी संस्थानों के छात्र इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं।

केवल उन्हीं प्रस्तावों पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा जो कॉलेज स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित हैं और 10% वार्षिक स्नातक (यूजी) स्वीकृत क्षमता शर्त का विधिवत पालन करने के बाद संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल) से अनुमोदित हैं, उदाहरणार्थ यदि किसी कॉलेज में यूजी सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 हैं तो कॉलेज स्पार्क 2023-2024 के लिए केवल 10 प्रस्ताव भेज सकते हैं।

शोध छात्रवृति पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन दो मानदंडों के आधार पर किया जाता है, पहला कुल अंक सूचकांक (30%) जो पिछले वर्ष की परीक्षा में या प्रथम वर्ष के छात्रों के मामले में 10+2 के अंको के लिए लागू होता है और दूसरा (70%) जो विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा गुण, नवीनता और अनुवादात्मक मूल्य पर अनुसंधान योजना के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर होता है।

(ख): स्पार्क कार्यक्रम बी.ए.एम.एस. छात्रों के लिए खुला है, जो देश भर में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में पढ रहें हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्नातक आयुर्वेद छात्रों को स्वतंत्र परियोजनाओं के माध्यम से अल्प अवधि के लिए जुड़कर अनुसंधान पद्धति और तकनीकों से परिचित होने का अवसर प्रदान करना है।

2022-23 बैच में कुल 778 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 100 प्रस्तावों का चयन किया गया और 95 उम्मीदवारों को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई। चयनित प्रस्ताव नैदानिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान, भेषजीय अनुसंधान/औषधि मानकीकरण/तकनीकी नवाचार, फार्माकोलॉजिकल इत्यादि जैसे विविध अनुसंधान क्षेत्रों से हैं।

वर्ष 2023-2024 के लिए, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद अनुसंधान केन (स्पार्क) छात्रवृति कार्यक्रम में वार्षिक संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी है। वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कुल 615 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 200 प्रस्तावों का चयन किया गया।

(ग): ब्यौरा **संलग्नक-I** पर है।

*****

संलग्नक-I

राज्य एवं अनुसंधान क्षेत्रवार चयनित स्पार्क प्रस्तावों का सार 2022-23 (100)

क्र.सं.	राज्य	महाविद्यालयों की संख्या	अनुसंधान क्षेत्र					प्रस्तावों की संख्या
			नैदानिक अनुसंधान	मौलिक अनुसंधान	साहित्यिक अनुसंधान	फार्मास्युटिकल अनुसंधान/औषधि मानकीकरण/तकनीकी नवाचार	फार्माकोलॉजिकल	
1.	आंध्र प्रदेश	**01**	01	0	0	0	0	01
2.	छत्तीसगढ़	**01**	02	0	0	0	0	02
3.	गुजरात	**06**	07	0	01	01	0	09
4.	हरियाणा	**03**	0	03	0	0	0	03
5.	कर्नाटक	**14**	08	04	03	14	05	34
6.	केरल	**07**	06	02	01	04	0	13
7.	मध्य प्रदेश	**04**	01	03	0	0	01	05
8.	महाराष्ट्र	**06**	03	01	02	07	0	13
9.	मेघालय	**01**	01	0	0	0	0	01
10.	नई दिल्ली	**01**	0	01	01	0	0	02
11.	ओडिशा	**02**	0	01	0	01	0	02
12.	पुदुचेरी	**01**	0	0	0	01	0	01
13.	पंजाब	**02**	0	0	01	0	01	02
14.	राजस्थान	**01**	0	02	02	01	0	05
15.	तमिलनाडु	**01**	01	0	0	0	0	01
16.	तेलंगाना	**01**	01	0	0	0	0	01
17.	उत्तर प्रदेश	**02**	01	01	01	0	0	03
18.	उत्तराखंड	**01**	0	0	0	0	01	01
19.	पश्चिम बंगाल	**01**	0	0	0	01	0	01
कुल		**56**	**32**	**18**	**12**	**30**	**8**	**100**